न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/39/2021

रजि0 न0 2021/105

अपीलार्थीः–

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री भगवान, निवासी म.नं. 251, वार्ड नं.6, ए.यू. बैंक के सामने, पटौदी रोड़ होली मण्डी तह0 पटौदी, जिला गुडगांव (हरियाणा)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 23.03.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/684 दिनांक 19.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित ना होकर राज्य सरकार के स्तर से संबंधित (नियम, अधिनियम, परिपत्र संबंधी) होने के कारण उन्हीं के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र कमांक 293 दिनांक 01.02.2021 के माध्यम से विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है, साथ ही लिखा गया है कि वो प्रकरण मे चाही गई वांछित सूचना/जानकारी हेतु राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है। कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर